Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियॉ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

पूर्णियाँ 02 मई। जिला पदाधिकारी, श्री राजेष कुमार द्वारा गत 21.04.2015 को चक्रवाती तूफान से प्रभावित परिवारों में चलाये जा रहे राहत कार्यो की समीक्षा दिनांक 02.05.2015 को की गई । समीक्षा के क्रम में जिले के आपदा प्रभावित परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त हो रहे षिकायतों को गंभीरता से लिया गया । बड़े पैमाने पर षिकायत मिल रही है कि कतिपय आर्थिक रुप से सम्पन्न परिवारों द्वारा सहायय अनुदान प्राप्त किया गया है । एक ही परिवार के कई लोगों द्वारा अवैध रुप से राहत अनुदान प्राप्त कर लिया गया है । एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्थानों से भी राहत अनुदान प्राप्त कर लेने की षिकायतें मिलती रही है । इसके अतिरिक्त कई ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं कि अव्यस्क लोगों द्वारा भी सहाय्य अनुदान प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे मामलों पर जांच एवं तत्क्षण कार्रवाई आवष्यक होने की आवष्यकता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त षिकायत निवारण एवं अनुवर्ती कानूनी/प्रषासनिक कार्रवाई संबंधी प्राप्त निदेष के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा प्राप्त षिकायतों के निष्पादन के लिए विषेष जांच टीम का गठन कर पुनरीक्षित सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया ।

नगर निगम क्षेत्र

जिले के नगर निगम क्षेत्र में कुल 46 वार्ड हैं । सभी 46 वार्डों के लिए जांच टीम का गठन किया गया है । जांच टीम में महिला पर्यवेक्षका/कर्मियों को लगाया गया है जो नगर निगम के बाहर पदस्थापित कर्मी है। इन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा कला भवन में संबोधित करते हुए जांच के सभी बिंदुओं से अवगत कराया गया तथा सख्त निदेष दिया गया कि जांच कार्य पूरी पारदर्षिता के साथ की जाय तथा जांच के क्रम में यह ध्यान दिया जाय कि किसी सुविधा संपन्न व्यक्ति द्वारा सहायय राषि/अनुदान प्राप्त नहीं किया जाय । इसके अतिरिक्त एक से अधिक बार सहायय अनुदान प्राप्त करने वालों की पहचान की जाय । टीम के साथ विडियो केमरा एवं जांच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवष्यक विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है ।

के.नगर प्रखंड

के.नगर प्रखंड में सहायय अनुदान के वितरण हेतु प्रभावितों परिवारों के पनुरीक्षित सर्वेक्षण हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ को वरीय पदाधिकारी के रुप में प्राधिकृत किया गया है । उप विकास आयुक्त प्रखंड मुख्यालय में कैंप कर रहे हैं तथा उनके नेतृत्व में कुल 6 ग्राम पंचायतों के लिए 28 विषेष जांच दल गठित कर पुनरीक्षित सर्वेक्षण हेतु भेजी गयी है। जांच दल के साथ विडियो केमरा एवं जांच प्रतिवेदन तैयार करने के लिए आवष्यक विहित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है ।

इस प्रकार नगर निगम क्षेत्र, के.नगर क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के पुनरीक्षित सर्वेक्षण हेतु जांच कार्य प्रारंभ हो चुका है । अधिष्ठापित टीम के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग हेतु कई वरीय पदाधिकारी को लगाया गया है :–निदेशक, लेखा प्रषासन एवं स्व नियोजन, श्री सुरेष, वरीय उप समाहर्ता, श्री रविन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर, अंचल अधिकारी, जलालगढ़, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रुपौली, अंचल अधिकारी, बैसा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बैसा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रुपौली ।

अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ को निदेष दिया गया कि जिले के विभिन्न कार्यालयों में नगर निगम क्षेत्र से संबंधित प्राप्त अनियमितता एवं षिकायतों की एक प्रति विषेष कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी को जांच के लिए भेज दें ।

कला भवन में अधिष्ठापित विषेष जांच टीम के पदाधिकारी एवं कर्मियों के आवष्यक व्यवस्था यथा–वाहन, खान–पान, विडियोग्राफर, फोटोग्राफर सहित सुरक्षा वयवस्था का दायित्व नगर आयुक्त को सौंपा गया है । विषेष जांच कैम्प टीमों द्वारा दिनांक–02.05.2015 द्वारा से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । इनके द्वारा On the Spot जांच कर कार्रवाई किया जायेगा तथा विहित प्रपत्रों में जांच प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, विषेष कैम्प के माध्यम से नगर आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा । नगर आयुक्त प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे । नगर आयुक्त को यह भी निदेष दिया गया कि राहत राषि के भुगतान में प्राप्त गड़बड़ी/अनियमितता प्रतिवेदन होने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध प्रषासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करना सुनिष्चित करें । इसी प्रकार के.नगर प्रखंड में भी जांचोंपरान्त कार्रवाई करने का निदेष उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ –सह– वरीय पदाधिकारी, के.नगर प्रखंड को जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है ।

विषेष जांच टीम से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुवर्ती सहायय उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी । नगर आयुक्त छूटे हुए परिवारों से संबंधित सर्वेक्षित सूची को वार्ड स्तरीय निगरानी समिति के अनुमोदनोपरान्त स्थान एवं तिथि का निर्धारण कर व्यापक प्रचार प्रसार के पष्चात् निगरानी समिति को पर्यवेक्षण में शेष राहत परिवारों के बीच वितरण कार्य सम्पन्न करायेंगे। प्रकार के.नगर प्रखंड में भी जांचोंपरान्त पंचायत स्तरीय राहत वितरण अनुश्रवण –सह– निगरानी समिति के देख–रेख में राहत वितरण का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा ।

इसी गठित विषेष जांच दल के द्वारा गृह क्षति का भी आंकलन किया जायेंगा । इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा व्यापक दिषा–निर्देष सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को दिया गया है तथा गृह क्षति के सर्वेक्षण हेतु विहित प्रपत्र जांच दल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है । साथ हीं प्रत्येक क्षतिग्रस्त मकान का वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराने का भी निदेष दिया गया है ।

विषेष टीम द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा प्रतिवेदन संध्या 7.00 बजे जिला पदाधिकारी की जायेगी । जिले के 2014–15 के रबी / गरमा मौसम में ओला वृष्टि / अतिवृष्टि यथा दिनांक–21.04.2015 को आये चक्रवाती तूफानसे फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कृषि विभाग, बिहार, पटना से इनपुट अनुदान का वितरण किसानों को किया जाना है । इसके लिए कृषि विभाग से प्राप्त निदेष के आलोक में किसान सलाहकार / कृषि समन्वयक / सहायक प्रखंड तकनीकि प्रबंधक / प्रखंड तकनीकि प्रबंधक के स्तर से सर्वेक्षित सूची का सत्यापन कार्य पूरा करने तक प्रखंड में कैंप करेंगे तथा सर्वेक्षित सूची के कम से कम 20 प्रतिषत कृषकों का स्वयं सत्यापन करेंगे ।

दिनांक–02.05.2015 को जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा श्रीनगर प्रखंड के झुन्नी कला, गढ़िया बलुआ एवं खुट्टी हसैली पंचायत का दौरा किया गया तथा प्रभावित परिवारों से बात की गई । इसी क्रम में झुन्नी कला के वार्ड नं0–8 के लक्ष्मीपुर डंगराहा ग्राम के आपदा प्रभावित श्रीमती मीरा देवी, पति–श्री फूलचन्द दास के द्वारा बताया गया कि उनका 01 एकड़ में लगा मक्का का फसल नष्ट हो हो गया और अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है । जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रीनगर द्वारा सर्वेक्षित फसल क्षति की सूची मंगाकर जांच किया गया उस सर्वेक्षित सूची में मीरा देवी का नाम एवं उसका 01 एकड़ में मक्का क्षति का उल्लेख पाया गया। पुनः उसी ग्राम के लाखन दास, मुन्नी देवी, राजेन्द्र दास आदि लोगों से जिला पदाधिकारी द्वारा पूछ–ताछ की गई । उनलोगों ने बताया कि उनका घर चक्रवात में टूट गया । जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वयं जांच किया गया तथा उनका घर सही में टूटा पाया गया । उन्होनें बताया कि राहत के रुप में 5800 रु0 मिल गया है । फसल क्षति, गृह क्षति का अनुदान नहीं मिला है । राहत का खाद्यान्न भी नहीं मिला । जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंव खाद्यान्न का भुगतान करने का निदेष दिया तथा बताया गया कि जैसे ही जांच कार्य पूरा होगा । उनके दावा को विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा । जिला पदाधिकारी द्वारा अन्य लोगों से भी पूछ–ताछ किया गया कि क्या उनसे किसी वार्ड सदस्य या मुखिया ने नाजायज राषि की मांग की है । उन्होनें बताया कि न तो उनसे किसी ने मांग किया और नही उन्होनें किसी को नाजायज राषि दिया है । आज के जांच से स्पष्ट होता है कि श्रीनगर प्रखंड में राहत वितरण कार्य सही ढंग से किया गया ।

कृषि इनपुट(फसल क्षति अनुदान) का सर्वेक्षण

विभिन्न प्रखंड में चल रहे फसल क्षति के सर्वेक्षण के कार्य के गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि विभाग के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों के लिए निम्न प्रकार वरीय पदाधिकारी के रुप में नामित किया गया है जो निम्न प्रकार है :– जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ, मो0–9431818753, आवंटित प्रखंड–पूर्णियाँ पूर्व, डगरुआ, परियोजना निदेषक अत्मा, पूर्णियाँ–9471002317, आवंटित प्रखंड–बायसी,बैसा,अमौर, सहायक निदेषक उद्यान, 9431818952–आवंटित प्रखंड का नाम–धमदाहा, श्रीनगर, बी.कोठी, सहायक निदेषक, पौधा संरक्षण,

पूर्णियाँ, 9431645648, आवंटित प्रखंड–रुपौली, भवानीपुर, उप परियोजना निदेषक, आत्मा, 9430077966, आवंटित प्रखंड–के.नगर, बनमनखी, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जांच प्रयोगषाला, पूर्णियाँ, 9470289901, आवंटित प्रखंड का नाम–जलालगढ़, कसबा ।

ये सभी पदाधिकारी फसल क्षति के सर्वेक्षण का प्रगति प्रतिवेदन ईमेल से प्रतिदिन भेजेंगे । प्रतिवेदन की शुद्धता के लिए ये पदाधिकारी मूलरुप में जिम्मेवार माने जायेंगे । भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर राषि की वसूली के साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी । आदेष की प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेज दी गयी ।

भूकम्प में हुए नुकसान की जांच

दिनांक–25.04.2015 एवं उसके बाद आये भूकंप के झटके से मकानों में होनेवाले दरार की जांच के लिए कुल 15 टीम गठित किया गया है । सभी टीम में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा वरीय प्रभार में संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता को नामित किया गया है । प्रतिनयुिक्त पदाधिकारी को आदेष दिया है कि अपने–अपने आवंटित क्षेत्र में कैंप करते हुए भूकंप प्रभावित सभी मकानों की तकनीकि जांच कर गृहस्वामी के नाम के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे । जांचोंपरान्त भवन की स्थिति के बारे में गृहस्वामी को भी जानकारी देंगे । तत्पष्चात् प्रभावितों को सहायय अनुदान उनके बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा ।

समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को सूचना दी गई कि वे बहुमंजली इमारातों के दरारग्रस्त और क्षतिग्रस्त होने की जानकारी जिले के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या–06454–241010, 241011, 242319 पर दे सकते हैं ।

संषोधित जांच कार्य पूर्ण होने तक सहायय अनुदान एवं सूखा राषन आदि वितरण कार्य को तत्काल बंद कर दिया गया है ।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ